



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 600 राँची, बुधवार,

18 सितम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

24 जुलाई, 2024

संख्या-4/नियुक्ति-01-01/2023 का० 4833--प्रथम सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या 05/2005) के आधार पर झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा श्री राजकुमार चौधरी, अनुक्रमांक-20050152 (अनारक्षित कोटि) तथा श्री दीपक कुजूर, अनुक्रमांक-20052260 (अनुसूचित जनजाति कोटि) की अनुशंसा की गई थी ।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1496 दिनांक 13.03.2023 के द्वारा श्री राजकुमार चौधरी, अनुक्रमांक-20050152 (अनारक्षित कोटि) तथा श्री दीपक कुजूर, अनुक्रमांक-20052260 (अनुसूचित जनजाति कोटि) को उप समाहर्ता के रूप में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योगदान की तिथि से औपबन्धिक रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया ।

3. स्कीपा के पत्रांक 539/ श्रीकृपा दिनांक 03.04.2023 तथा 605/ श्रीकृपा दिनांक 18.04.2023 द्वारा प्रथम सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या 05/2005) के माध्यम से झारखण्ड प्रशासनिक सेवा अन्तर्गत उप समाहर्ता के पद पर योगदान करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना दी गई।

4. प्रथम सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों में से श्री राजकुमार चौधरी तथा श्री दीपक कुजूर द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया गया।

5. योगदान अवधि विस्तार करने के संबंध में श्री चौधरी तथा श्री कुजूर द्वारा विभाग में कोई भी आवेदन समर्पित नहीं किया गया। अधिसूचित पद पर श्री चौधरी तथा श्री कुजूर को योगदान करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए इस आशय का प्रेस विज्ञप्ति (**PR.No.318042**) प्रकाशित किया गया कि "दिनांक 16.02.2024 तक श्री चौधरी तथा श्री कुजूर द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किये जाने पर इनकी नियुक्ति को रद्द करने हेतु आवश्यक कारवाई की जाएगी।"

6. प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के बावजूद श्री चौधरी तथा श्री कुजूर द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान किये जाने के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है और न ही श्री चौधरी तथा श्री कुजूर द्वारा योगदान के संबंध में विभाग में कोई आवेदन समर्पित किया गया।

7. विभागीय संकल्प संख्या 13026 दिनांक 17.11.2012 के कंडिका-3(xiv) के अनुसार झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं के अन्तर्गत "भर्ती हेतु अपेक्षित कारवाई सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जाएगी, योगदान करने के लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा।"

8. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत प्रथम सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों में से श्री राजकुमार चौधरी, अनारक्षित कोटि (गृह जिला-खगड़िया, बिहार, अनुक्रमांक 20050152) तथा श्री दीपक कुजूर, अनुसूचित जनजाति कोटि (गृह जिला-लोहरदगा, अनुक्रमांक 20052260) द्वारा उप समाहर्ता के अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा श्री राजकुमार चौधरी तथा श्री दीपक कुजूर की उप समाहर्ता के पद पर की गई नियुक्ति को रद्द किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव।
